Board of Revenue For Rajasthan Ajmer
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपीडी/टीए/3860/2005/जैसलमेर

1 सोहनसिंह पुत्र ढोकलसिंह
2 देवीसिंह पुत्र आमसिंह
3 भागसिंह पुत्र आमसिंह सभी जाति राजपूत निवासी लोंगासर तहसील पोकरण
4 अमरसिंह पुत्र अभयसिंह जाति राजपूत निवासी ढोलासर राज मथाई तहसील पोकरण जिला जैसलमेर

अपीलार्थीगण

बनाम

1 रूपसिंह पुत्र भवंरलाल राठी जाति महाजन
2 हरिप्रसाद पुत्र भंवरलाल राठी जाति महाजन
3 भोम राज पुत्र भंवरलाल राठी जाति महाजन
4 अशोक कुमार पत्रु भंवरलाल राठी जाति महाजन
5 श्रीमती राधादेवी पत्नी भंवरलाल राठी जाति महाजन
6 दीनसिंह पुत्र नाथूसिंह (फौत) जरिये वारिसान
6/1 सायर कवंर बेवा दीपसिंह
6/2 शैतानसिंह पुत्र दीपसिंह
6/3 हरिसिंह पुत्र दीपसिंह
6/4 उम्मेदसिंह पुत्र दीपसिंह
6/5 नारायणसिंह पुत्र दीपसिंह
6/6 कानसिंह पुत्र दीपसिंह
6/7 कमला पुत्री नारायण सिंह सभी जाति राजपूत
7 श्रीमती पार्वती देवी पत्नी नाथूसिंह जाति राजपूत
8 दुर्जनसिंह पुत्र खींवसिंह जाति राजपूत
9 काछबसिंह पुत्र खींवसिंह जाति राजपूत सभी निवासीयान गांव ढोलासर राज मथाई तहसील पोकरण जिला जैसलमेर
10 तहसीलदार, पोकरण

प्रत्यर्थीगण

खण्ड पीठ
श्री मोडूदान देथा, सदस्य
श्री रवि प्रकाश शर्मा, सदस्य

उपस्थितः श्री एन.के. गोयल वकील अपीलार्थीगण
श्री के.के.पुरोहित वकील प्रत्यर्थीगण

निर्णय

दिनांकः.16.2.18

यह द्वितीय अपील धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम) के अन्तर्गत भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, (बाडमेर–जैसलमेर) मुख्यालय जोधपुर कैम्प जैसलमेर द्वारा प्रकरण संख्या 8/04 में पारित निर्णय दिनांक 19.7.2005 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादी मृतक भवंरलाल राठी वर्तमान प्रत्यर्थी संख्या 1 से 5 के पूर्वज ने एक वाद घोषणा खातेदारी का अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत नाथूसिंह व खींवसिंह वर्तमान प्रत्यर्थी संख्या 6 से 9 के पूर्वज के विरूद्ध सहायक जिलाधीश, पोकरण के न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आराजी खसरा नम्बर 1611 के 1/2 हिस्सा 91 बीघा 5 बिस्वा दक्षिणी तरफ सैटलमेन्ट के समय से वादी का कब्जा काश्त चला आ रहा है परन्तु इस खसरा नम्बर का पूरा रकबा प्रतिवादीगण के खातेदारी में दर्ज हो गया। अतः वादी को उक्त 91 बीघा 5 बिस्वा का खातेदार घोषित किया जावे। प्रतिवादीगण ने इकाबाली जबाबदावा प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने निर्णय व डिक्री दिनांक 29.4.1968 से वादी का वाद स्वीकार कर डिक्री कर दिया। इसके विरूद्ध अपीलार्थीगण ने भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, (बाडमेर–जैसलमेर) मुख्यालय जोधपुर कैम्प जैसलमेर के न्यायालय में प्रथम अपील प्रस्तुत की। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपीलार्थी द्वारा धारा 96 सी.पी.सी. का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने की इजाजत नहीं लेने व अपील 36 साल बाद प्रस्तुत की जाने व इकबाली जबाबदावा सही होने से निर्णय दिनांक 19.7.2005 से अपील खारिज कर दी। इससे व्यथित होकर अपीलार्थीगण ने यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलार्थीगण ने अपनी बहस में तर्क दिया कि वादी द्वारा घोषणा का दावा प्रस्तुत किया गया था जिसमें राज्य सरकार आवश्यक पक्षकार होती है परन्तु वादी ने वाद में सरकार को पक्षकार नहीं बनाया जिससे वाद चलने योग्य नहीं है। अपीलार्थीगण विवादित भूमि के सह खातेदार होकर आवश्यक पक्षकार हैं परन्तु वाद में अपीलार्थीगण को पक्षकार नहीं बनाया गया। अपीलार्थीगण व्यथित पक्षकार है जिससे यदि अपील प्रस्तुत की अनुमति दिये जाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं भी किया गया हो तो प्रभावित पक्षकारों को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति दी जानी चाहिये थी। विचारण न्यायालय में अपीलार्थीगण पक्षकार नहीं थे जिससे निर्णय की उन्हें समय पर जानकारी नहीं हो सकी।

विचारण न्यायालय का निर्णय व प्रतिवादीगण का इकबाली जबाबदावा विधि विरूद्ध है। सह खातेदारी की आराजीयात में प्रतिवादीगण नाथूसिंह व खीवंसिंह का 1/3 हिस्सा है जिससे वे 1/2 हिस्से की घोषणा हेतु इकबाली जबाबदावा नहीं दे सकते एवं इसके आधार पर 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित नहीं किया जा सकता। अतः अपील स्वीकार की जावे।

4. विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थीगण ने अपनी बहस में तर्क दिया कि विचारण न्यायालय का निर्णय विधि अनुरूप कार्यवाही कर निर्णय दिनांक 29.4.1968 को पारित किया गया है एवं इसके विरूद्ध अपीलार्थीगण द्वारा प्रथम अपील वर्ष 2004 में लगभग 36 साल बाद पेश की गई है। निर्णय की जानकारी अपीलार्थीगण को प्रारमभ से ही थी एवं विवादित भूमि पर प्रत्यर्थीगण का कब्जा काश्त चला आ रहा है। अपीलार्थीगण ने धारा 96 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया है जबकि वह प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने की अनुमति न्यायालय से ली जाना आवश्यक है। अपील 36 साल बाद प्रस्तुत की गई है एवं देरी का कोई समुचित कारण भी नहीं बताया गया है। विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थीगण ने यह भी तर्क दिया कि सम्पूर्ण सह खातेदारी की भूमि जो कि 1600 बीघा से भी अधिक है में नाथूसिंह व खींवसिंह का 1/3 हिस्सा है एवं उनके द्वारा विवादित भूमि खसरा नम्बर 1611 में से 91 बीघा 5 बिस्वा के लिए सहमति दी गई है जो उनके हिस्से के अनुसार है और सही है। अपीलार्थीगण को इससे व्यथित पक्षकार नहीं माना जा सकता। अपीलार्थीगण ने यह अपील प्रत्यर्थीगण को हैरान व परेशान करने की नियत से प्रस्तुत की है। अतः अपील खारिज की जावे।

5. हमने दोनों पक्षो के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

6. विचारण न्यायालय ने इकबाली जबाबदावा के आधार पर निर्णय दिनांक 29.4.68 से वादी का वाद स्वीकार कर डिक्री किया है। इसके विरूद्ध अपीलार्थीगण द्वारा लगभग 36 साल बाद प्रथम अपील अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय में प्रस्तुत की गई एवं अपील के साथ धारा 96 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने से अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने अपील को खारिज कर दिया।

7. पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय ने दिनांक 292.4.68 को प्रतिवादीगण द्वारा इकबाली जबाबदावा प्रस्तुत किये जाने से वादी का वाद स्वीकार कर डिक्री किया है। अपीलार्थीगण जो कि सह खातेदार है, ने इसके लगभग 36 वर्ष बाद सन् 2004 में अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय में प्रथम अपील

प्रस्तुत की है। अपीलार्थीगण विचारण न्यायालय में पक्षकार नहीं थे जिससे अपील प्रस्तुत की अनुमति दिये जाने हेतु अपील के साथ धारा 96 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक था परन्तु अपीलार्थीगण द्वारा ऐसा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है एवं अपील प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं ली गई है। इस संबंध में हमारे समक्ष अपीलार्थीगण के विद्वान अभिभाषक का तर्क रहा है कि वे सह खातेदार होकर व्यथित पक्षकार है जिससे उन्हें अपील प्रस्तुत करने की इजाजत हेतु निवेदन नहीं किये जाने पर भी अपील प्रस्तुत करने की अनुमति न्यायहित में दी जानी चाहिये थी। यह तर्क मानने योग्य नहीं है क्योंकि अपीलार्थीगण विचारण न्यायालय में वाद में पक्षकार नहीं थे एवं वे यदि स्वंय को व्यथित एवं पीडित पक्षकार मानते हैं तो प्रथम अपील के साथ अपील प्रस्तुत की अनुमति दिये जाने हेतु धारा 96 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर न्यायालय ने इजाजत ली जाना आवश्यक एवं बाध्यकारी है।

8. प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय में यह स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि सह खातेदारी की सम्पूर्ण आराजी का रकबा लगभग 1600 बीधा से अधिक है एवं उसमें नाथूसिंह व खींवसिंह का 1/3 हिस्सा है तथा उनके द्वारा खसरा नम्बर 1611 में से 91 बीघा 5 बिस्वा के संबधं में इकबाली जबाबदावा दिया है जिसके आधार पर दावा डिक्री किया गया है, जिसे गलत नहीं माना जा सकता। यह भी स्पष्ट है कि अपीलार्थीगण ने भंवरलाल व नाथूसिंह, खींवसिंह के जीवनकाल में इस निर्णय को चुनौति नहीं दी है तथा निर्णय के 36 साल बाद अपील प्रस्तुत की हैं। वे सह खातेदार है जिससे यह नहीं माना जा सकता कि इतनी लम्बी अवधि तक उन्हें अभिलेख में हुए परिवर्तन की जानकारी नहीं हुई हो। जिससे प्रथम अपील स्पष्ट रूप से अवधि बाहर होने से खारिज किये जाने योग्य है। ऐसी स्थिति में हम अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के निर्णय में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं पाते हैं एवं यह अपील खारिज करना उचित समझते हैं।

9. अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार यह अपील खारिज की जाती है एवं भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, (बाडमेर–जैसलमेर) मुख्यालय जोधपुर कैम्प जैसलमेर का निर्णय दिनांक 19.7.2005 यथावत रखा जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रवि प्रकाश शर्मा)
सदस्य

(मोडूदान देथा)
सदस्य